बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय
BIHAR UNIVERSITY OF HEALTH SCIENCES
मीठापुर, पटना–800 001 (बिहार)
Tel-0612-2356912, 2356913, Email-registrarbuhs-bih@gov.in

अधिसूचना

पटना, दिनांक 05.08.2023

अ॰सं॰:संब0–6032/2023–512/ बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना की तदर्थ संबद्धता समिति की बैठक में दिनांक–04.08.2023 को बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग/पोस्ट बेसिक बी॰एस॰सी॰ नर्सिंग/एम॰एस॰सी॰ नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों द्वारा संबद्धता हेतु समर्पित आवेदनों पर सम्यक् विचारापरांत लिए गए निर्णय के आलोक में निम्नांकित सूची के कॉलम सं0 2 में अंकित नर्सिंग महाविद्यालयों/संस्थानों को कॉलम सं0 4 में अंकित नर्सिंग पाठ्यक्रम एवं कॉलम सं0 5 में अंकित नामांकन क्षमता के लिए स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा प्रदान की गई अनुमति/मान्यता के आलोक में बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना से **सत्र–2023–24** हेतु औपबंधिक संबद्धता (Provisional Affiliation) निम्नांकित नियम एवं शर्त्तों के अधीन प्रदान की जाती है।

Sl No	Name of the Institute	District	Course	Intake Capacity
1	2	3	4	5
1	Alay Fatima Hai College of Nursing	Patna	B.Sc. Nursing	60
2	Bhagalpur Institute of Nursing	Bhagalpur	B.Sc. Nursing	60
3	MGM College of Nursing and Paramedical	Patna	Post Basic B.Sc. Nursing	60
		Patna	M.Sc. Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-20, OBG Nursing-20, Paediatric Nursing-5, Psychiatric Nursing-5, Community Health Nursing-10)
4	Patliputra College of Nursing	Patna	Post Basic B.Sc. Nursing	60
		Patna	M.Sc. Nursing	60 (Medical & Surgical Nursing-20, OBG /MCH-10, Paediatric Nursing-5, Psychiatric Nursing-5, Community Health Nursing-20)

नियम एवं शर्त्तेः–

1. औपबंधिक संबद्धता "Regulation for Provisional Affiliation and Fee for Affiliation" की धारा 8 में निहित प्रावधानों के तहत सशर्त प्रदान की जा रही है।
2. औपबंधिक संबद्धता सक्षम प्राधिकार द्वारा अनुमोदित किए जाने एवं अन्य शर्त्तों के अधीन होगी।
3. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से सत्र–2023–24 हेतु मान्यता प्राप्त नहीं की गई है, तो वैसे महाविद्यालय/संस्थान नामांकन लेने के पूर्व बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना से सत्र–2023–24 हेतु मान्यता प्राप्त कर लेंगे तथा इसकी एक प्रति यथाशीघ्र विश्वविद्यालय में समर्पित करेंगे।

वि.उ.

4. यदि किसी महाविद्यालय/संस्थान द्वारा आवेदन के साथ Application Fee तथा Inspection-Cum-Processing Fee के रूप में निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा किया गया है, तो उन्हें निर्देश दिया जाता है कि अविलंब निर्धारित शुल्क की राशि विश्वविद्यालय में जमा कर दें।
5. सूची में अंकित सभी महाविद्यालयों/संस्थानों को निर्देश दिया जाता है कि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित Affiliation Fee और Endowment Fund की राशि विश्वविद्यालय द्वारा माँग किए जाने पर जमा करेंगे।
6. संबंधित महाविद्यालय/संस्थान को निर्देश दिया जाता है कि नामांकित छात्र–छात्राओं के पंजीयन के पूर्व वांछित कागजात/शुल्क विश्वविद्यालय कार्यालय में अचूक रूप से समर्पित कर देंगे।
7. विश्वविद्यालय/Concerned Apex Regulatory Body/बिहार सरकार आदि द्वारा निर्धारित न्यूनतम आधारभूत संरचना एंव अन्य मापदण्डों की जॉच हेतु विश्वविद्यालय द्वारा महाविद्यालय/संस्थान का किसी भी कार्य दिवस को औचक निरीक्षण किया जा सकता है।
8. महाविद्यालय/संस्थान बिहार सरकार/बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय/ Concerned Apex Regulatory Body के नियमों/विनियमों आदि का पालन करने हेतु बाध्य होगा।
9. बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के अधिनियम/परिनियम/विनियम आदि का पालन करना महाविद्यालय/संस्थान के लिए बाध्यकारी होगा।
10. महाविद्यालयों/संस्थानों के द्वारा किसी प्रकार की गलत/भ्रामक सूचना देकर अथवा तथ्य/सूचना छिपाकर औपबंधिक संबद्धता प्राप्त करने पर विश्वविद्यालय द्वारा नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी।

कुलपति के आदेशानुसार

5/8/2023

(विमलेश कुमार झा)
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023– 512 **/ पटना, दिनांक** 05.08.2023

प्रतिलिपि–माननीय मुख्यमंत्री, बिहार–सह–कुलाधिपति, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, पटना/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/निदेशक प्रमुख (नर्सिंग), स्वास्थ्य सेवाऍ, बिहार, पटना/सचिव, भारतीय उपचर्या परिषद्, नई दिल्ली/निबंधक, बिहार परिचारिका निबंधन परिषद्, पटना/प्रबंधक, जिला निबंधन एवं परामर्श केन्द्र, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2023
कुलसचिव
बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–......512....... **/ पटना, दिनांक** ....05.08.2023....

प्रतिलिपि–प्राचार्य/निदेशक/सचिव, संबंधित नर्सिंग महाविद्यालय/संस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कायार्थ प्रेषित।

5/8/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

ज्ञापांक : संबं॰–6032/2023–......512....... **/ पटना, दिनांक** ....05.08.2023....

प्रतिलिपि–डीन(अकादमिक)/डीन(आयुष)/डीन(परीक्षा)/परीक्षा नियंत्रक/वित्त पदाधिकारी/ कुलपति के निजी सचिव, बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

5/8/2023

कुलसचिव

बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना